भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3552

दिनांक 24.07.2019/ 2 श्रावण,1941 (शक) को उत्तर के लिए

नई दिल्ली नगर निगम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक

3552. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं;

(ख) क्या वे नियमितीकरण के लिए पात्र हैं;

(ग) क्या उनके नियमितीकरण हेतु कोई सेवा लेखा-परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) उनका नियमितीकरण कब तक कर दिया जाएगा?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क): नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सूचित किया है कि एनडीएमसी विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए अतिथि शिक्षक पहली बार वर्ष 2013 में दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर रखे गए थे। अतिथि शिक्षक वर्ष 2016 में भी रखे गए थे। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं पूरी तरह अस्थायी होती हैं और उनके कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष उनकी सेवाओं का विस्तार किया जाता है। विभागीय पदोन्नति अथवा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के जरिये सीधी भर्ती के माध्यम से नियमित शिक्षकों की उपलब्धता होने पर सबसे कनिष्ठ अतिथि शिक्षकों की सेवायें समाप्त कर दी जाती हैं।

(ख) से (घ): वर्तमान में, दैनिक पारिश्रमिक के आधार पर रखे गए शिक्षकों को नियमित करने की ऐसी कोई नीति नहीं है। सर्विस ऑडिट कराने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

******